पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक :2 42 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : 17 /02/2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 06.02.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. विभूति राय	–	सदस्य
3.	प्रो. एस.के. सिंह	–	सदस्य
4.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
5.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
6.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
7.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
8.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
9.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
10.	श्री महेश चंद्र शर्मा	–	सदस्य
11.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
12.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
13.	डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.12.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 30.12.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

3. अंकेक्षण प्रतिवेदन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अर्थवर्ष 2007–08 पर विचार करना।

निर्णय अंकेक्षण प्रतिवेदन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अर्थवर्ष 2007–08 की सूचना ग्रहण की गई एवं शेष अंकेक्षण आपत्तियों को दूर कराये जाने का निर्णय लिया गया।

4. विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं/सहायक ग्रंथपाल को कैरियर एडव्हांसमेंट के तहत् वेतन निर्धारण फलस्वरूप एरियर्स भुगतान की राशि रूपए 13,24,504/-- (तेरह लाख चौबीस हजार पांच सौ चार रूपए) के स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं/सहायक ग्रंथपाल को कैरियर एडव्हांसमेंट के तहत् वेतन निर्धारण के फलस्वरूप एरियर्स भुगतान की राशि रूपए 13,24,504/– (तेरह लाख चौबीस हजार पांच सौ चार रूपए) की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. आफसेट प्रिंटिंग प्रेस सतना को सत्र 2008–09 के उपाधि मुद्रण देयक रूपए 15,94,708/– की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि रू. 16,77,708/– का 5 प्रतिशत राशि रोककर रू. 15,94,708 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. शैक्षणिक सत्र 2010 के लिये डाटा प्रोसेसिंग एवं अंकसूची निर्माण हेतु स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2010 के लिये डाटा प्रोसेसिंग एवं अंकसूची निर्माण हेतु फर्म में मेसर्स डाटासाफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेस, प्रा0लि0 दिल्ली से अनुबंध करने की स्वीकृति प्रदान की गई। होलोग्राम मुद्रण के लिये चालीस पैसे प्रति अंकसूची की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

7. इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला में संचालित एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिए यू.जी.सी. ग्रांट से रू. 9,00,000/– उपकरण क्रय किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि राज्य शासन भण्डार क्रय नियमों का विश्वविद्यालय में पालन सुनिश्चित किया जाए तब तक प्रकरण स्थगित रखा जाय।

8. डॉ. संजय तिवारी, रीडर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को यू.जी.सी. रिसर्च अवार्ड में कार्य ग्रहण की तिथि से दो वर्ष के लिये कर्तव्य अवकाश स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि डॉ. संजय तिवारी, रीडर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को यू.जी.सी. रिसर्च अवार्ड में कार्यभार ग्रहण की तिथि से दो वर्ष के लिये कर्तव्य अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला में संचालित एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिए यू.जी.सी. ग्रांट से रू. 6,09,398/– उपकरण क्रय किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि राज्य शासन भण्डार क्रय नियमों का विश्वविद्यालय में पालन सुनिश्चित किया जाए तब तक प्रकरण स्थगित रखा जाय।

10. इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला के अंतर्गत यू.जी.सी. मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके Project Investigator डॉ. संजय तिवारी हैं। उकरण यू.जी.सी. मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के ग्रांट से रू. 5,56,500/— उपकरण क्रय किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि राज्य शासन भण्डार क्रय नियमों का विश्वविद्यालय में पालन सुनिश्चित किया जाए तब तक प्रकरण स्थगित रखा जाय।

पूरक विषय सूची

1. फार्मेसी संस्थान में मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम के तहत् Spectrofluorophotometer उपकरण रू. 5.20 लाख (1000000 Yen) क्रय किया जाना है इस हेतु राशि की भुगतान के स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि राज्य शासन भण्डार क्रय नियमों का विश्वविद्यालय में पालन सुनिश्चित किया जाए तब तक प्रकरण स्थगित रखा जाय।

2. मिनी इंफोटेक शाप नं. 3, अकबर, काम्पलेक्स, पचपेड़ी नाका चौक, रायपुर का कम्प्यूटर क्रय के देयक रू. 12,78,160=00 का भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि मिनी इंफोटेक शाप नं. 3, अकबर, काम्पलेक्स, पचपेड़ी नाका चौक, रायपुर को कम्प्यूटर क्रय के देयक रू. 12,78,160=00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. वित्तीय वर्ष 2009—10 में विज्ञापन मद हेतु बजट 6 लाख के स्थान पर 16 लाख का बजट प्रावधान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2009—10 में विज्ञापन मद हेतु बजट 6 लाख के स्थान पर 16 लाख का बजट प्रावधान मान्य किया गया।

4. छात्रों को प्रदत्त पी—एच.डी. उपाधि दिनांक 05.01.2010 से 15.01.2010 तक कुल 15 उपाधि (अधिसूचना क्र. 1835 से 1849 तक) का अनुमोदन करना।

निर्णय दिनांक 05.01.2010 से 15.01.2010 तक छात्रों को प्रदत्त पी—एच.डी. उपाधि कुल 15 उपाधि (अधिसूचना क्र. 1835 से 1849 तक) का अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. दो स्वर्ण पदक हेतु राशि रू. 50,000 + 50,000 = 1,00,000/— दानदाता श्री सुभाष मिश्र, अधिवक्ता से राशि स्वीकार करने पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि **श्री सुभाष मिश्रा, अधिवक्ता,** साकेत 59, ऐश्वर्या रेसीडेन्सी, जी.ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर से रू. 1,00,000/— (एक लाख रूपए 50,000 + 50,000) दो स्वर्ण पदक के लिये मान्य किया गया। दानदाता की शर्तों के अनुरूप विनियम मान्य किया गया।

6. **डॉ. विभा सिंह,** जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग को प्रतिनियुक्ति पर, निर्देशक (Director), अकादमिक स्टाफ कॉलेज (पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर) का प्रभार देने बाबत्, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 268, 3525/09/38-2 दिनांक 22/01/2010 के संबंध में विचार करना।

निर्णय प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र को कार्यपरिषद् के समक्ष रखा गया । निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र के संदर्भ में महाविद्यालय से आज की तिथि में सहमति प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

7. हिन्दी ग्रंथ अकादमी को विश्वविद्यालय परिसर में 45000 + 15963 = 60963 वर्ग फीट भूमि आबंटन के संबंध में विचार करना।

निर्णय हिन्दी ग्रंथ अकादमी को विश्वविद्यालय परिसर में 45000 + 15963 = 60963 वर्ग फीट भूमि आबंटन की स्वीकृति प्रदान की गई, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आबंटन इस शर्त पर किया जाय कि हिन्दी ग्रंथ अकादमी के विश्वविद्यालय परिसर छोड़ने की स्थिति में यह भूमि एवं भवन विश्वविद्यालय की सम्पत्ति मानी जाएगी।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. Carrier Advance Scheme के अंतर्गत साक्षात्कार समिति की अनुशंसा संबंधी सील बंद लिफाफे खोले गये। Carrier Advance Scheme के तहत प्रोफेसर पद के लिये निम्नलिखित नामों की अनुशंसा की गई :-

क्र.	नाम	विषय	पदोन्नति की तिथि
(1)	डॉ. भगवंत सिंह	दर्शन शास्त्र	27.07.2006
(2)	डॉ. बी.कामेश्वर राव	दर्शन शास्त्र	27.07.2006
(3)	डॉ. व्यास दुबे	सांख्यिकी	27.07.2006
(4)	डॉ. (श्रीमती) सरला शर्मा	भूगोल	27.07.2006
(5)	डॉ. (श्रीमती) अनुसुईया बघेल	भूगोल	27.07.2006
(6)	डॉ. व्यास नारायण दुबे	भाषा विज्ञान	27.07.2006
(7)	डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	भाषा विज्ञान	27.07.2006
(8)	डॉ. अमर कांत पाण्डेय	अर्थशास्त्र	27.07.2006
(9)	डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	मानव विज्ञान	27.07.2006
(10)	डॉ. बशीर हसन	मनोविज्ञान	30.01.2007
(11)	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	समाज शास्त्र	09.03.2007
(12)	डॉ. अरूण कुमार	मानव विज्ञान	01.04.2009

2. डॉ. डी.पी. कुईटी, डॉ. एस.के. पाण्डे एवं डॉ. निनाद बोधनकर के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र पढ़ा गया। पत्र में दिये गये निर्णय को कार्यपरिषद् में स्वीकृति प्रदान की गई।

3. डॉ. संजय जे. डहरवाल, व्याख्याता फार्मेसी संस्थान को आदेश की तिथि से 02 वर्ष के धरणाधिकार स्वीकृत करते हुए RITEE के फार्मेसी विभाग रायपुर में प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. श्री रघुराज प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त, वाहन चालक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की जन्म तिथि के संबंध में श्री मनोज दुबे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिये गये अभिमत पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षों में विश्वविद्यालय के द्वारा जिस जन्मतिथि को आधार मानकर सेवानिवृत्ति दी गई थी, उसे मान्य कर तत्काल पेंशन प्रकरण निराकृत कर एवं अन्य देय राशि का भुगतान कर अगली बैठक में सूचना दें। यह प्रकरण काफी समय से लंबित है।

5. परिनियम 28 के तहत सेंट थामस महाविद्यालय, रूआंबांधा भिलाई जिला–दुर्ग में प्राचार्य पद पर चयन की अनुशंसा संबंधी लिफाफा खोला गया तथा प्राचार्य पद पर **डॉ. रीनी जॉर्ज** की नियुक्ति प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 243 /अका./का.प./2010 रायपुर, दिनांक : 17 /02/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)